प्र.सं. 60/2024 जीसीएमएस नं. 2024/90 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम गोपाल दास आचार्य आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया हैं ना ही बकाया राशि का भुगतान किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 2 पर विधिवत नोटिस तामील होना नहीं पाया गया। जबकि प्रत्येक अप्रार्थी ऋणि पर नोटिस तामील होना आवश्यक हैं। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार –**

" **Demand Notice**

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to **the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service.**

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice** or that **for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house** or **building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice**

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:22:58 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 60/2024 जीसीएमएस नं. 2024/90 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम गोपाल दास आचार्य आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

<u>in two leading newspaper</u>, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 लक्ष्मी देवी का नोटिस किसी सन्दीप नाम के व्यक्ति पर तामील हुआ हैं। उक्त नियम 3 के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस विधिवत तामील होना नहीं माना जा सकता हैं।

धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी को आवेदन के साथ नौं(9) बिन्दुओं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ धारा 14 के तहत प्रस्तुत शपथ पत्र पूर्ण नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश [illegible])
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़